REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082024-256334 CG-DL-E-13082024-256334

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3102] No. 3102]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 12, 2024/श्रावण 21, 1946 NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 12, 2024/SHRAVANA 21, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2024

का.आ. 3260(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामत:-

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	चैनेज
संख्या		
(1)	(2)	(3)
रारा-56	बोडेली – नेतरंग – वनासडा – वापी खंड	किमी 414.646 से किमी 714.010
	(गुजरात राज्य में)	

[फा.सं. एनएच-14013/7/2024-पी एंड एम]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2024

S.O. 3260(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highways No.	Section of National Highways	Chainage
(1)	(2)	(3)
NH-56	Bodeli-Netrang-Vanasda-Vapi section	Km. 414.646 to Km. 714.010
	(In the State of Gujarat)	

[F. No. NH-14013/7/2024-P&M]

ABHAY JAIN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2024

का.आ. 3261(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अध्यधीन पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

"उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 7 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"7.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6, [किमी 29.100 से किमी 4.740 (हजीरा से सूरत) और किमी 7.325 से	गुजरात
	किमी 103.149 (सूरत से महाराष्ट्र/गुजरात सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 8ए [किमी 00.000	राज्य
	से किमी 71.400 [कांडला – मुंद्रा पत्तन] और किमी 183.500 से किमी 362.160 (गांधीधाम से	सरकार"
	समखियाली से बामनबोर) तक को छोड़कर], सं. 8बी [किमी 000.040 से किमी 185.000 तक	
	(पोरबंदर-राजकोट खंड) को छोड़कर], सं. 8डी [(किमी 00.000 से किमी 127.000 (जेतपुर-	
	सोमनाथ) तक खंड को छोड़कर], सं. 8ई [किमी 7.090 - किमी 473.000 तक को छोड़कर]	
	(भावनगर – तालजा – महुआ - कागावादर - ऊना - कोदीनार - वेरावल - [1]गाडू - पोरबंदर -	
	द्वारका खंड), नई रारा सं. 51 [बेट द्वारका (सिग्नेचर ब्रिज सहित) – ओखा द्वारका तक और वरतेज	
	– सोंगाध – गधाडा [1]– बोताड- रणपुर – लिंबडी – सुरेंद्रनगर – धंगधरा से कुडा तक], सं. 59	
	[(किमी 4.200 से किमी 122.420 (अहमदाबाद-गोधरा) और किमी 129.300 से किमी 215.900	
	(गोधरा-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा) तक को छोड़कर], सं. 228, <i>नई रारा सं. 56 [(बोडेली – नेतरंग</i>	
	– वनासडा – वापी खंड के किमी 414.646 से किमी 714.010 तक खंड को छोड़कर], नई रारा	
	सं. 68 [संचोरी – थरड़ खंड किमी 307/515 से किमी 328/297) और किमी 426/500 से	
	किमी 591/585 (राधनपुर-प्रणजीत खंड) तक को छोड़कर] और नई रारा सं. 151के, नई रारा	

तालिका

सं. 151एडी, नई रारा सं. 351जी, नई रारा सं. 351के, नई रारा सं. 848के, नई रारा सं. 927सी, नई रारा सं. 927के, नई रारा सं.168, नई रारा सं.168ए, नई रारा सं. 168जी, नई रारा सं. 251, नई रारा सं. 341, नई रारा सं. 351, नई रारा सं. 754ए [संतालपुर – वाव – थरड – राजस्थान/गुजरात सीमा तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 756, नई रारा सं. 848, नई रारा सं. 848ए, नई रारा सं. 848बी, नई रारा सं. 927डी और नई रारा सं. 953 के उतने भाग जो गुजरात राज्य में अवस्थित हैं।

[फा. सं. एनएच-14013/7/2024-पी एंड एम]

अभय जैन, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली

बार का. आ. 1762 (अ), तारीख 28 जून, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2024

S.O. 3261(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4thAugust, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 7 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)	
"7	So much of National Highways No. 6[excluding from km 29.100 to km 4.740 (Hazira to Surat)		
	and km 7.325 to km 103.149 (Surat to Maharastra/Gujarat Border], No. 8A, (excluding from km.		
	00.000 to km. 71.400) [Kandla- Mundra port] and from km 183.500 to km 362.160 (Gandhidham	of Gujarat."	
	to Samakhyali to Bamanbore), No.8B [excluding from km. 000.040 to km. 185.000 (Porbandar-		
	Rajkot Section)], No. 8D [excluding from km. 00.000 to Km. 127.000 (Jetpur-Somnath), No. 8E		
	[excluding from Km 7.090 to Km 473.000] (Bhavnagar – Talaja – Mahuva – Kagavadar – Una –		
	Kodinar - Veraval[1]Gadu- Porbandar-Dwarka Section), New NH No. 51 [Stretch from Bet		
	Dwarka (includingSignature Bridge)- Okha upto Dwarka and from Vartej- Songadh-		
	Gadhada[1]Botad- Ranpur- Limbdi- Surendranagar- Dhrangadhra upto Kuda], No. 59 [excluding		
	from Km 4.200 to 122.420 (Ahmedabad-Godhra) and from Km 129.300 to Km 215.900 (Godhra-		
	Gujarat/Madhya Pradesh Border), No. 228, new NH No. 56 [excluding from Bodeli-Netrang-		
	Vanasda-Vapi section from km. 414.646 to km. 714.010)], new NH No. 68 [excluding from		
	Sanchore-Tharad section from km. 307/515 to km. 328/297) and km 426/500 to km 591/585		
	(Radhanpur- Pranjit section)] and New NH No. 151K, New NH No. 151AD, New NH No. 351G,		
	New NH No. 351K, New NH No. 848K, New NH No. 927C, New NH No. 927K, New NH No.		
	168, new No. 168A, new NH No. 168G, new NH No. 251, New NH No. 341, New NH No. 351,		
	New NH No. 754A [excluding Santalpur- Vav- Tharad- Rajasthan/ Gujarat border section], New		
	NH No. 756, New NH No. 848, New NH No. 848A, New NH No. 848B, New NH No. 927D, and		
	New NH No. 953 as are situated within the State of Gujarat.		

[F. No. NH-14013/7/2024-P&M]

ABHAY JAIN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096(E), dated the 4thAugust, 2005 and was last amended vide number S.O. 1762(E), dated the 28th June, 2024.